FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम—मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... गोदीलाल वगै0 पुत्रान कन्हैया

किस्म मुकदमा— भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या—08 सन्—2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर—08 / 2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.07.2023	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2080 ग्राम उकरूंद भूमि ख0न0 225 कुल अतिक्रमित रकबा 0.0025 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ते पर गैर सायलान गोदीलाल वगै0 पुत्रान कन्हैया जाति मीना निवासी उकरूंद द्वारा उक्त भूमि पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायलान को राजस्थान भू0—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायलान न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ एंव ना ही गैर सायलान द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके स्पस्ट होता है कि गैर सायलान द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू—राजस्व लगान दर 0.11 रुपये का 50 गुणा लगभग 6 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0 / पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA कराये बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] निर्णय खुले अदालत में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajesh Kumar Date: 2024.05.23 15:24:33 IST Reason: SelfAttested नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2023-24 की पृ0 सं0 02 पर 06 रू० मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लेखाकार	